

फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री शिवशंकर पिता चुन्नीलाल दाधीच मु. पो. रेवाडा, वाया पहुंना, तहसील राशमी
बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 93/2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.12.2017	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री शिवशंकर पिता चुन्नीलाल दाधीच मुकाम पोस्ट रेवाडा, वाया पहुंना, तहसील राशमी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 04.10.2017 को लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर, लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>जिला परिषदों के लिये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को मय उनके द्वारा प्रस्तुत पोस्टल ऑर्डर नं. 40F 915770 राशि 10/- रुपये के प्रेषित की जावे।</p>	